

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016 ⁄वैशाख 20, 1938
No. 331]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/ VAISAKHA 20, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2016

सा.का.नि. 497(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए नि नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र म प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,--
- (क) अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातु :--

.सं.	उद्योग	मापदंड मानक			
(1)	(2)	(3)			
"10क.	अपशिष्ट के सह	क. उत्सर्जन मानक			
	प्रसंस्करण सहित	(i) धूर्णक भठ्ठा – अपशिष्ट सह प्रसंस्करण सहित			
	सीमेंट मानक संयंत्र		प्रारंभ की तारीख	स्थान	अधिकतम सान्द्रता,
		मि.ग्रा./एन.एम.³ में			
			(ক)	(ख)	(ग)

2321 GI/2016 (1)

.सं.	उ ोग	मापदंड		मानक	
(1)	(2)	(3)	(4)		
(1)	(-)	कणिक य पदाथ	अधिसूचना क तारीख से	देश म कसी भी थान	30
		(PM)	ही	पर	
		(1 101)			
			अधिसूचना क तारीख से	1.0 लाख से अधिक	30
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ा.0 लाख स आबक जनसंख्या वाले या	30
			पूव	उसके 5.0 क.मी.	
				परिध के भीतर	
				ांतिक दूषित ेत्र या	
				शहरी क	
				ांतिक दूषित ेत्र या	30
				शहरी क से भि न	
		स फर डाई	ारंभ क तारीख को	देश म कसी भी थान	100, 700 और 1000, जब
		आ साइड	यान म रखे बिना	पर	चूना-पथर म मश:
		(SO ₂)			0.25% से कम, 0.25 से
					0.5% और 0.5% से अधिक
					पाइराइ टक स फर है।
		नाइोजन	अधिसूचना क तारीख के	देश म कसी भी थान	(1) 600
		आ साइड	प चात्	पर	
		(NOx*)	अधिसूचना क तारीख से	कसी भी थान पर	(2) इन-लाइन कैिसनर
			पूव (25.8.2014)		ौ ोगिक सहित रोटरी
					क न के लिए 800 ।
					(3) आईएलसी, पृथक लाइन
					कैिसनर (एस एल सी)
					और स पशन ि-हीटर
					ौ ोगिक या केवल एस
					एल सी ो ोगिक या
					बिना कैिसनर मिित
					ीम का उपयोग करते ए
					रोटरी कलन के लिए
					1000
		हाइोजन लोरा			ा./ एन.एम. ³
		हाइोजन लोरा			ा./ एन.एम. ³
		कुल काबनिक का			ा./ एन.एम. ³
		मरकरी और इसके			. ा./ एन.एम.³
			यम और उनके यौगिक		. ा./ एन.एम. ³
		*	नेक + सीसा + कोबा ट +	0.5 मि.	ा./ एन.एम. ³
			T + मैगनीज + निकैल +		
		वेनेडियम और उन		04	ਸਿਟ ਸ/ ਸਤ ਸਮਾ ³
		डाइओ सीन और			ग्रीइ यू/ एन.एम.³ अभि`तेह: सफरडाई
	आ साइड - SO_2 ; नाइ ोजन आ साइड - NO_x ; हाइ ोजन लोराइड - HCL ; हाइ ोजन लोराइड				

.सं.	उ ोग	मापदंड	मानक				
(1)	(2)	(3)	(4)				
		- HF ; कुल कार्बी	नेक कार्बन – TOC ; मरकरी - Hg ; कैडमियम -Cd ; थैलियम - Tl ; एंटीमनी - Sb				
		 ; आर्सेनिक - As	; सीसा - Pb ; कोबा ट – Co ;ोिमयम – Cr ; तांबा – Cu ; मैगनीज – Mn ;				
		 निकैल – Ni , वान					
			स फर डाईआ साईड और नाइोजन आ साईड के संबंध म अनुपालन के लिए सांद्रण				
			खा समय-समय पर यथा संशोधित सा.का.नि. सं. 612 (अ.) तारीख 25 अग त, 2014				
			खा समय-समय पर यथा सशााबत सा.का.ान. स. ठाट (अ.) ताराख 25 अग त, 2014 धिसूचना के अधीन उपबंध के अनुसरण म शासित ह गे ।				
			**अनुज्ञापन ाधिकारी, मामला दर मामला आधार पर अपशि के सह संस्करण के लिए य द कुल				
		_					
		काबानक काबन व	ा प रणाम नह है, पृथक् मानक को विहित कर सकेगा ।				
		(क) येक चिमन	ी क ऊंचाई, जिसके अंतर्गत खांगर पिसाई संयं , कोयला मिल, अप र कृत मिल,				
		पिसाई, संवे	ष्टन अनुभाग, आ द भी है, कम से कम 30 मीटर या H = 14 (Q1) ^{0,3} और H = 74				
		(Q2) ^{0.27} सू	त्र के अनुसार रहेगी, जो भी अधिक हो, जहां H चिमनी क ऊंचाई मीटर म और "Q1"				
		चिमनी के म	ना यम से स फर डाई-आ साइड SO₂ के अधिकतम उ सर्जन क क.ा./ ति घंटा और				
		"Q2" संयं ⁵					
			ा । है, जो संयंत्र क शत- तिशत रे टग मता पर होगी।				
		ख. मुख्य भा दे	ख. मुख्य भा ढेर पर स फर आ साईड, नाइ ोजन आ साइड, हाई ोजन लोराईड, हाई ोजन				
		लोराईड,	लोराईड, कुल कार्बनिक कार्बन, धातु और डाइओ सेन और फयूरोन क मानीटर मान को 10				
			ें सीजन के शुष्क आधार पर मानक कृत कया जाएगा और स फर डाईआ साईड,				
			भा साइड, हाई ोजन लोराईड, हाई ोजन लोराईड, कुल कार्बनिक कार्बन, धातु और				
			डाइओ सेन और फयूरोन के लिए संनियम मुख्य भा ढेर को लागू ह गे तथा कणक य पदाथ के लिए संनियम संयंत्र म सभी ढेर को लागू ह गे। कणक य, स फर आ साईड, नाइ ोजन के आ साइड क सतत मानीटरी होगी। हाई ोजन लोराईड, हाई ोजन लोराईड, कुल कार्बनिक कार्बन, धातु और डाइओ सेन और फयूरोन क मानटरी वष म एक बार होगी।				
		काश्रम, बार्	। आर डाइआ सम् आर कयूराम के मामटरा वर्ष में एक बार हागा।				
		ग. उसर्जन केम	।।र्जन के लिए आशयित मार्जक को शमन करने के लिए युक्त नह कया जाएगा । ऐसे				
		संयंत्र, जो म	।।र्जक यूनिट के लिए गैस उ सर्जन हेतु पृथ त: चिमनी रखते ह उसके चिमनी क ऊंचाई				
		कम से कम	मुख्य चिमनी क ऊंचाई के समान होगी ।				
			ख—अपशि ट जल सफाई (बिना संस्करण के)				
		उोगके ारा अ	पूर्ति अपशि ट जल को 'शून्य नि सारण' के लिए सभी यास कए जाएंगे । उोग के				
		आपूर्ति अपशि ट	जल नि सारण चाहने क दशा म नि नलिखित सि नयम का पालन कया जाएगा :				
			अधिकतम सा ता, मि. ा./एन.एम.³				
			(pH और तापमान के सिवाय)				
		pН	5.5 से 9.0				
		निलिबत कण	100				
		तेल और ीस	10				
		तापमान	ापक जल के तापमान से 5ºC से अधिक उ चतर न हो ।				

.सं.	उ ोग	मापदंड मानक		
(1)	(2)	(3)	(4)	
		ग—वर्षाजल		
		(I) वषा जल को बहि: ाव, उपचा रत मल, मार्जक जल और/या तल घुलाई अपजल के साथ मिलाने क		
		अनुमति नह दी जाएगी ।		
		(Ⅱ) उोग क सीमा के भीतर वषा जल को पृथक् नालिय ारा वाहित कया जाएगा ।''।		

(ख) अनुसूची VI म, साधारण उ सर्जन मानक से संबंधित 'Part-D' के अधीन, भार या मा ा आधा रत मानक से संबंधित मद III म, म सं0 10 और उससे संबंधित विटिय के प चात् नि निलिखित म सं यांक और विटियां अंत: थापित क जाएगी, अर्थात:--

(1)	(2)	(3)	(4)
"10क	सीमेंट मानक (बिना संस्करण के)	धूणक भा पर आधारत संयंत्र (अपरकृत मिल, भा और पूण खांगर सिटम को साथ चलने से कणकयपदाथ)	खांगर का 0.125 क.ा./टन (01.01.2017 से) ⊦" ।

[फा. सं. यू.-15017/30/2007-सी.पी.ड यू.]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

ट पण—मूल नियम भारत के राजप , असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) म का.आ. सं. 844(अ), 19 नवंबर, 1986 ारा काशित कए गए थे और त प चात् अधिसूचना सं. 433(अ), तारीख 18 अैल, 1987 ; सा.का.िन. सं. 176(अ), तारीख 2 अैल, 1996; सा.का.िन. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009 ; सा.का.िन. सं. 149(अ), तारीख 4 माच, 2009 ; सा.का.िन. सं. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009 ; सा.का.िन. सं. 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010 ; सा.का.िन. सं. 809(अ), तारीख 4 अ तूबर, 2010 ; सा.का.िन. सं. 215(अ), तारीख 15 माच, 2011 ; सा.का.िन. सं. 221(अ), तारीख 18 माच, 2011 ; सा.का.िन. सं. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011 ; सा.का.िन. सं. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011 ; सा.का.िन. सं. 446(अ), तारीख 1 जून, 2011 ; सा.का.िन. सं. 152(अ), तारीख 16 माच, 2012 ; सा.का.िन. सं. 266(अ), तारीख 30 माच, 2012 ; और सा.का.िन. सं. 277(अ), तारीख 31 माच, 2012 ; और सा.का.िन. सं. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012 ; सा.का.िन. सं. 176(अ), तारीख 18 माच, 2013 ; सा.का.िन. सं. 535(अ), तारीख 7 अग त, 2013 ; सा.का.िन. सं. 771(अ), तारीख 11 दसंबर, 2013 ; सा.का.िन. सं. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014 ; सा.का.िन. सं. 229(अ), तारीख 28 माच, 2014 ; सा.का.िन. सं. 232(अ), तारीख 31 माच, 2014 और सा.का.िन. सं. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014, सा.का.िन. सं. 612(अ), तारीख 25 अग त, 2014 ; सा.का.िन. सं. 789(अ), तारीख 11 नवंबर, 2014 ; का.आ. 3305 (अ), तारीख 7 दसंबर, 2015 ; का.आ.4(अ) तारीख 1 जनवरी, 2016 ; सा.का.िन. सं. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016 तथा अंतिम संशोधन सा.का.िन. सं. 281(अ), तारीख 7 माच, 2016 ारा संशोधित कए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2016

G.S.R. 497 (E). – In exercise of powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,-
 - (a) in schedule I, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"S. No.	Industry	Parameter		Standards	
(1)	(2)	(3)	(4)		
"10A.	Cement Plant		A- E	Emission Standards	
	with co-		Rotary Kiln – with co-processing of Wastes		
	processing of wastes		Date of Commissioning	Location	Concentration not to exceed, in mg/Nm ³
			(a)	(b)	(c)
		Particulate Matter (PM)*	on or after the date of notification (25.8.2014)	anywhere in the country	30
			before the date of notification (25.8.2014)	critically polluted area or urban centres with population above 1.0 lakh or within its periphery of 5.0 kilometer radius	30
				other than critically polluted area or urban centres	30
		SO ₂ *	irrespective of date of commissioning	anywhere in the country	100, 700 and 1000 when pyritic sulphur in the limestone is less than 0.25%, 0.25 to 0.5% and more than 0.5% respectively.
		NOx*	After the date of notification (25.8.2014) Before the date of	anywhere in the country anywhere in the	(1) 600 (2) 800 for rotary kiln
			notification	country	with In Line Calciner

	(25.8.2014)		(ILC) technology.	
			(3) 1000 for rotary kiln	
			using mixed stream	
			of ILC, Separate Line	
			Calciner (SLC) and	
			suspension pre-heater	
			technology or SLC	
			technology alone or	
		10	without calciner.	
	HCl		mg/Nm ³	
	HF		ng/Nm ³	
	TOC		g/Nm ³ ** mg/Nm ³	
	Hg and its compounds		mg/Nm ³	
	Cd +Tl and their compounds Sb+As+Pb+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+V		mg/Nm ³	
	their compounds	and 0.5	IIIg/IVIII	
	Dioxins and Furans	0.1 ng	TEQ/ Nm ³	
	Note: The abbreviations used in the			
	- Oxides of Nitrogen; HCl – Hyd			
	Organic Carbon; Hg – Mercury;			
	Arsenic; Pb – Lead; Co – Cobalt;			
	Nickel; and V - Vanadium.";			
	* The concentration values and t			
	NOx shall be governed in accorda			
	GSR No. 612 (E), dated the 25 th August, 2014 and amended from time to time.			
	**D			
	**Permitting authority may prescribe separate standards on case to case basis, if Total Organic Carbon (TOC) does not result from the co-processing of waste.			
	(a) The height of each individual stack connected to Kiln, Clinker Cooler, Cement			
		, Packaging section, etc. shal		
	metres or, as per the formula $H = 14 (Q1)^{0.3}$ and $H = 74 (Q2)^{0.27}$ whichever is more,			
	where "H" is the height of stack in metres and "Q1" is the maximum quantity of			
	SO ₂ expected to be emitted in kg/hr and "Q2" is the maximum quantity of PM			
	expected to be emitted in tonnes/hr through the stack at 100 percent rated capacity			
	of the plant;			
		O_2 , NO_x , $HC1$, HF , TOC , $Meta$		
		corrected to 10% Oxygen, on o		
		Metals and Dioxins and Fur		
		rms for Particulate Matter (PM		
		I, SO_2 , NO_x shall be monitored and Furans shall be monitored		
	100, iviciais and Dioxilis a	na rurans shan de momitofed (once in a year,	
	(c) Scrubber meant for scrubb	ing emissions shall not be us	ed as quencher and plants	
		aseous emission for the scrubb		
	stack shall be at least equal		J , G	
		ste water (with co-processing	g of wastes)	
	All efforts shall be made by the ir			
	case, the industry prefers to discl	narge service wastewater, the	following norms shall be	
	complied with:	T		
		Concentration not to exce		
		(except pH and temperatu	ire)	
	рН	5.5 to	9.0	
	Suspended Solids	10		
	Suspended Sonds	10		

Oil and Grease	10
Temperature	not more than 5°C higher than the intake water temperature
water and or or floor washing	C- Storm water llowed to mix with effluent, treated sewage, scrubber gs. limits of industry shall be channelised through separate

(b) in Schedule VI, under 'Part-D' relating to General Emission Standards, in item III relating to Load or Mass based standards, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"10A	Cement Plants (with co-	Rotary kiln based plants (Particulate	0.125 kg/ tonne of clinker.".
	processing)	Matter from raw mill, kiln and pre-	
		calciner system put together)	

[F. No.- Q-15017/30/2007-CPW] Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 176(E), dated the 2nd April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July,2009; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176 (E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07th May, 2014, G.S.R. 612, (E), dated the 25th August 2014; G.S.R. 789(E), dated the 11th November 2014; S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015; S.O.4(E), dated the 1st January 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14th January 2016 and lastly amended vide notification G.S.R. 281 (E), dated the 7th March, 2016.